भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1221
जिसका उत्तर गुरुवार, 28 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

वकीलों द्वारा बार काउंसिल पंजीकरण दर्शाया जाना

1221. श्री ए. विजयकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वकीलों द्वारा बार काउंसिल पंजीकरण दर्शाए जाने को अनिवार्य बनाने और बहस के दौरान बार काउंसिल कार्ड को साथ रखने के लिए कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या देश में कई प्रयासों के बावजूद, कई फर्जी वकील अभी भी अदालतों में वकालत कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो देश में फर्जी वकीलों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने यह सूचित किया है कि, राज्य विधिज्ञ परिषद् को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि, सभी वकालतनामों, परिचय पत्र, लेटर हैड और बार काउंसिल पहचान पत्रों पर भी किसी अधिवक्ता को अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, जहां लागू हो, सीओपी (सर्टिफिकेट ऑफ पैक्टिस) संख्या के साथ नामांकन संख्या को लिखना होगा ।

(ख) और (ग) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने इस अनाचार को रोकने के लिए फर्जी और विधि व्यवसाय न करने वाले अधिवक्ताओं को छांटने के उद्देश्य से बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरीफिकेशन) नियम, 2015 को बनाया और कार्यान्वित किया है ।

विभिन्न राज्य विधिज्ञ परिषदों से प्राप्त अद्यतन प्रास्थिति रिपोर्ट के अनुसार, कुल 16,39,105 अधिवक्ता हैं जो विभिन्न राज्य विधिज्ञ परिषदों में नामांकित हैं । जिनमें से सत्यापन/घोषणा के अधीन प्राप्त प्ररूपों की कुल संख्या 8,14,750 है । इसके अतिरिक्त इनमें से 5,46,026 एलएल.बी की उपाधियों को सत्यापन के लिए संबद्ध विश्वविद्यालयों को संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा भेजा गया है ।

****